Indian Scholar
ISSN 2350-109X
www.indianscholar.co.in
An International Multidisciplinary Research e-Journal

भारत की आन, बान, शान और पहचान है 'हिन्दी'

डॉ. ममता कदम
(अतिथि विद्वान)
नेट, पीएच.डी. (हिन्दी), एलएल.एम.
शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय
भिण्ड, (म.प्र.)

जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है तो वह प्रकृति के नियमानुसार भाषा एवं संकेत सीखता है वैसे ही एक मानव के रूप में ''जब एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वह माँ के पेट से ही बोली सीखकर नहीं आता बल्कि उसे भाषा का पहला ज्ञान अपने माता–पिता द्वारा बोले गए प्यार भरे शब्दों से ही होता है। भारत में अधिकतर बच्चे सर्वप्रथम हिन्दी में ही अपनी माँ के प्यार भरे बोलों को सुनते हैं।''[1] उस छोटे बच्चे को सभी घर में तो हिन्दी में बात करके समझाते और सिखाते हैं लेकिन जैसे ही वह तीन या चार साल का होता है उसे प्ले स्कूल या नर्सरी में भेज दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई। बचपन से हिन्दी सुनने वाले बच्चे के कोमल दिमाग पर अंग्रेजी भाषा सीखने का दबाव डाला जाता है। पहली और दूसरी कक्षा तक आते–आते तो कई स्कूलों में शिक्षकगण बच्चे को समझाने के लिए भी अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी को स्कूलों में इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे यह हमारी राष्ट्रभाषा हो।

भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, कल्पना व चिन्तन को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। अपने संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो सरल, सुबोध होने के साथ अमृत के समान मधुर और मीठी हो। पहली बार सही मायनों में हिन्दी की खड़ी बोली का इस्तेमाल अमीर खुसरों की रचनाओं में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहा था। इसके बाद हिन्दी का प्रसार मुगलों के साम्राज्य में ही हुआ। इसके अलावा खड़ीबोली के प्रचार–प्रसार में संत संप्रदायों का भी विशेष योगदान

[1]दैनिक जागरण हिन्दी दिवस विशेषांक

रहा जिन्होंने इस जनमानस की बोली की क्षमता और ताकत को समझते हुए अपने ज्ञान को इसी भाषा में देना सही समझा।

भारतीय पुनर्जागरण के समय भी श्री राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन और महर्षि दयानंद जैसे महान नेताओं ने हिन्दी की खड़ी बोली का महत्व समझते हुए इसका प्रसार किया और अपने अधिकतर कार्यों को इसी भाषा में पूरा किया। हिन्दी के लिए पिछली सदी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इस सदी में हिन्दी गद्य का न केवल विकास हुआ, वरन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने उसे मानक रूप प्रदान किया। खड़ी बोली को और भी प्रसार दिया महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जैसे रचनाकारों ने। आजादी की लड़ाई में हिन्दी ने विशेष भूमिका निभाई। जहाँ एक ओर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा का ज्ञाता होते हुए भी हिन्दी को ही जनमानस की भाषा बताया तो वहीं देश के क्रांतिकारियों ने जनमानस से संपर्क साधने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। यह हिन्दी हिन्दुस्तान को बांधती है। लेकिन यह किसी दुर्भाग्य से कम नहीं कि जिस हिन्दी को हजारों लेखकों ने अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश की शान बताया। कुछ तथाकथित राष्ट्रवादियों की वजह से हिन्दी को आज उसका वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी उसे जरूरत थी।

गांधी जी भी चाहते थे कि हिन्दी बने राष्ट्रभाषा। जिस हिन्दी को संविधान में सिर्फ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है उसे कभी गांधी जी ने खुद राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मलेन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था की हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद ना गांधीजी रहे ना उनका सपना। सत्ता में बैठे और भाषा–जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। जो कि इस देश के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हुए भी आज इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगें कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी 'हिन्दी' भारत के जनसम्पर्क की भाषा होते हए भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है।

लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब इसे कई गुटों ने राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया जिसमें प्रमुख थे द्रविदर कझगम, पेरियार, और डीएमके। हिन्दी के विरोध में इन लोगों ने तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में आंदोलन चलाए। हिन्दी के विरोध में कई लोगों ने बकायदा 13 अक्टूबर 1957 को हिन्दी विरोध दिवस के रूप में मनाया।पर कुछ नेता ऐसे भी थे जो हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के हिमायती थे। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरजी देसाई जैसे नेता चाहते थे कि हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो पर राजनीति की बिसात पर उनकी चाह दबी रह गई। उस समय तमिलनाडु, मद्रास, केरल और अन्य जगह हिन्दी के विरुद्ध फैल रहे आंदोलन दंगों की सूरत लेने पर आमादा थे। इसलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिन्दी को अंग्रेजी के साथ ही चलाते रहने का फैसला किया।

जो भाषा किसी राष्ट्र द्वारा संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार कर ली जाती है तथा जिस भाषा में सरकार अपना सारा कार्य एवं सभी सूचनाओं को प्रसारित करती है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिन्दी को संघ के सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के लिए राज भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आम बोलचाल की भाषाएँ गीत संगीत की भाषा मीडिया की भाषा साहित्य की भाषा के रूप में हिन्दी अपनी विशिष्टता सहित जन–जन तक पहुँचने में समय नहीं लेती इसलिए इसकी लोकप्रियता अत्याधिक है। राजभाषा हिन्दी के मामले में ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती है। वर्तमान में विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की गति धीमी है तथा इस धीमी गति का नियमित विश्लेषण विभिन्न मंचों पर किया जाता है किंतु अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। वस्तुतः राजभाषा और हिन्दी में संघर्ष जारी है तथा हिन्दी की लोकप्रियता के साये तले राजभाषा अपनी एक सशक्त छवि निर्मित करने में संघर्षरत है। यहाँ यह विचारणीय है कि यह संघर्ष क्यों ? क्या राजभाषा को अपनी विशेष छवि निर्मित करने के लिए हिन्दी के साये तले ही रहना पड़ेगा क्या राजभाषा खुले आसमान में नहीं पनप सकती है कौन देगा इन सब प्रश्नों का उत्तर जब भी हिन्दी और राजभाषा का सवाल उठता है तब इस प्रकार के अनेकों प्रश्न उभरते हैं।

स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 (1) में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा।

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं मे प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो क्या इनकी वजह से हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई लेकिन क्या हिन्दी को सिर्फ राजभाषा तक ही सीमित रखना उचित है? आखिर क्या जनमानस की इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का हक नहीं है? इसी महत्वपूर्ण निणर्य के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर सन् 1953 से सम्पूर्ण भरत में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को इसे 'हिन्दी' दिवस के रुप में मनाया जाता है।

इस हिन्दी दिवस के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन छात्र–छात्राओं को हिन्दी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिन्दी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है। जिसमें हिन्दी निबन्ध लेखन, वाद–विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। हिन्दी दिवस पर हिन्दी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसने जन–जन में हिन्दी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरुप एक लाख एक हजार रुपये दिये जाते हैं।

जब 1949 में पहली बार हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण हिन्दी प्रसार सभा का गठन भी कराया ताकि 15 सालों के कार्यकाल में वह हिन्दी को दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय और आम बोलचाल की भाषा बनाए लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1949 में जब हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था तक तय किया गया था कि 26 जनवरी, 1965 से सिर्फ हिन्दी ही भारतीय संघ की एकमात्र राजभाषा होगी। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद जब इसे लागू करने का समय आया तो तमिलों के विरोध के चलते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हे यह आश्वासन दिया कि जब तक सभी राज्य हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप मे स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजी हिन्दी के साथ राजभाषा बनी रहेगी। इसका परिणाम यह निकला कि आज भी हिन्दी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं

जाति और भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले चन्द राजनेताओं की वजह से देश का सम्मान बनने वाली भाषा सिर्फ राजभाषा तक ही सीमित रह गई। रही–सही कसर आज के बाजारीकरण ने पूरी कर दी जिस पर अंग्रेजी की मजबूत पकड़ है। आज हिन्दी जानने और बोलने वाले को बाजार में एक गंवार के रूप में देखा जाता है। जबकि अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले को एक उच्च, सुसभ्य एवं सभ्रांत छवि के रूप में देखा जाता है।

हिन्दी भाषा प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। यह मुख्य रू॰ से आर्यों और पारसियों की देन है। हिन्दी के ज्यादातर शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। हिन्दी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। प्रकृति से उदार ग्रहणशील, सहिष्णु और भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका है हिन्दी। यह विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है।[2]

हिन्दी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर इतनी सुदृढ और समृद्ध है कि इस ओर अधिक प्रयत्न न किए जाने पर भी इसके विकास की गति बहुत तेज है। ध्यान,

[2]हिन्दी दिवस पर कैसे लिखे निबन्ध वेब दुनिया डॉटकॉम

योग, आसन और आयुर्वेद विषयों के साथ–साथ इन से संबंधित हिन्दी शब्दों का भी विश्व की दूसरी भाषाओं में विलय हो रहा है। भारतीय संगीत, हस्तकला, भोजन और वस्त्रों की विदेशी मांग जैसी आज है पहले कभी नहीं थी। लगभग हर देश में योग, ध्यान और आयुर्वेद के केन्द्र खुल गए हैं जो दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी संस्कृति जिसे पाने के लिए सिर्फ हिन्दी के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। भारतीयों ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि से आज विश्व के तमाम देशों की उन्नति में जो सहायता की है उससे प्रभावित होकर सभी यह समझ गए हैं कि भारतीयों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हिन्दी सीखना कितना जरूरी है। आज हिन्दी ने अंग्रेजी का वर्चस्व तोड़ डाला है। करोड़ों की हिन्दी भाषी आबादी कंप्यूटर का प्रयोग अपनी भाषा में कर रही हैं। जानकार मानते हैं कि अगर आज भी पूरा हिन्दुस्तान एक होकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राजी हो जाए तो संविधान में उसे यह स्थान मिल सकता है। तो चलिए आज हम सब एकजुट होकर अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक नई लहर की शुरुआत करें।

हिन्दी ही एक भाषा है जिसमें यह सारे गुण विद्यमान होने के साथ–साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है जो बोली जाती है वैसी ही लिखना होती है। 'हिन्दी' हिन्दुस्तान की भाषा है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान की पहचान है। 'हिन्दी' ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है।

'हिन्दी' हमारे देश का स्वाभिमान, अभिमान और पहचान है।
यह हिन्दी ही है, जिसमें भारत की आन, बान और शान है।।

–डॉ. ममता कदम

"जय हिन्द जय हिन्दी।"

संदर्भ सूचीः–

1. प्रदीप कुमार शर्मा–विश्व मंच पर हमारी हिन्दी
2. गर्भनाल हिन्दी पत्रिका
3. राजभाषा भारती हिन्दी पत्रिका
4- http://days.jagranjunction.com/2012/09/13/hindi-diwas-in-india
5- http://hindi.webdunia.com/hindi-essay/essay-on-hindi-diwas-113091200045_2.html
6- http://kosh.khsindia.org/hindi